

4 जून, 2020

सरकारी आदेश 2020-40

**कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश**  
**कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 38)**

**चूंकि**, कुछ ही समय में कोरोनावायरस 2019 (कोविड-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, ने शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

**जबकि**, कोविड-19 (COVID-19) श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणहीन लोग वायरस का पारवहन कर सकते हैं, और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है; और,

**जबकि**, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि**, 1 अप्रैल, 2020 को, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव के कारण, आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि**, 30 अप्रैल, 2020 को, चूंकि कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार जारी रहने की अपेक्षा, और संपूर्ण राज्य में परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, और अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटर्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और विषाणु यानि वायरस के परीक्षण की सामग्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था; और,

**जबकि**, 29 मई, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के कारण हुई हजारों मौतों, मामलों में लगातार वृद्धि, अस्पताल शैयाओं, ER शैयाओं और वेंटिलेटर्स की कमी का खतरा लगातार बने रहने, और पहले से बेहतर पर अभी-भी अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, और विषाणु यानि वायरस के कारण हुए आर्थिक विनाश के कारण, मैंने पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (इस कार्यकारी आदेश में पहचानी गई पिछली उद्घोषणाओं के साथ, ग्युबरनेटोरियल आपदा उद्घोषणा); और,

**जबकि**, कोविड-19 के प्रकोप के समय इसके प्रसार को रोकने या धीमा करने तथा COVID-19 महामारी के दौरान लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु इलिनॉय राज्य के लिए लगातार तत्काल और महत्वपूर्ण उपाय करते रहना आवश्यक और उचित है; और,

**जबकि**, इलिनॉय बहली (रेस्टोर इलिनॉय) इलिनॉय को दोबारा खोलने की एक पांच चरणों वाली योजना है, जो स्वास्थ्य मापों द्वारा मार्गदर्शित है और जिसमें प्रत्येक चरण में विशिष्ट व्यापारिक, शैक्षिक, एवं मन-बहलाव गतिविधियों को सावधानीपूर्वक बहाल करना शामिल है; और,

**जबकि**, इलिनॉय बहली (रेस्टोर इलिनॉय) योजना इलिनॉय में चार स्वास्थ्य क्षेत्र स्थापित करती है, जिसमें से प्रत्येक क्षेत्र चरणबद्ध पद्धति से होते हुए स्वतंत्र रूप से एक से दूसरे चरण में जाने के योग्य है; और,

**जबकि**, 4 जून, 2020 को, चारों स्वास्थ्य क्षेत्र इलिनॉय बहली (रेस्टोर इलिनॉय) योजना के चरण 3 में आ चुके हैं; और,

**जबकि**, चरण 3 स्कूलों को इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, IDPH) के मार्गदर्शन के अनुसार दोबारा खुलने और आमने-सामने का अनुदेशन सीमित मात्रा में प्रदान करने की अनुमति देता है; और,

**जबकि**, कार्यकारी आदेश 2020-38 सामाजिक दूरी व्यवहार में लाने, सार्वजनिक स्थानों पर और जब कभी छः फुट की सामाजिक दूरी लगातार बनाए रखना संभव न हो तब फ़ेस कवर पहनने, और लोगों के एकत्रण को दस या कम लोगों तक सीमित करने को अनिवार्य करता है; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य शिक्षा बोर्ड (स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) और IDPH उन स्कूलों के लिए मार्गदर्शन एवं अनुशंसाएं जारी कर रहे हैं जिन्होंने चरण 3 के दौरान आमने-सामने का सीमित अनुदेशन आरंभ करने का विकल्प चुना है; और,

**जबकि**, बाल श्रम कानून (चाइल्ड लेबर लॉ), 820 ILCS 205/1 एवं अनुवर्ती, स्कूलों के शहरी या काउंटी अधीक्षक (सिटी या काउंटी सुपरइन्टेन्डेन्ट) को, या उनके विधिवत रूप से अधिकृत अभिकर्ताओं को रोज़गार चाहने वाले अवयस्कों को रोज़गार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत करता है; और,

**जबकि**, बाल श्रम कानून (चाइल्ड लेबर लॉ), 820 ILCS 205/12, यह आवश्यक करता है कि रोज़गार चाहने वाला अवयस्क स्वयं आकर रोज़गार प्रमाणपत्र का आवेदन जमा करे; और,

**जबकि**, कोविड-19 (COVID-19) के कारण स्कूल और कार्यालय बंद किए जाने के फलस्वरूप, विद्यार्थियों, परिवारों, और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोज़गार प्रमाणपत्रों के आवेदन जमा करना एवं उनका प्रक्रमण करना (उन्हें प्रोसेस करना) कठिन हो गया है, एवं कुछ मामलों में तो यह असंभव हो गया है;

**इसलिए**, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (8), 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 4 जून, 2020 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूँ:

अनुभाग 1. इलिनॉय में प्री-किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सेवाएं देने वाले सभी सार्वजनिक एवं असार्वजनिक स्कूल, नियमित 2019-2020 स्कूल सत्र पूरा हो जाने के बाद, आमने-सामने के सीमित शैक्षिक उद्देश्यों, जैसे ग्रीष्मकालीन स्कूल, के लिए खोले जा सकते हैं। सभी सार्वजनिक एवं असार्वजनिक स्कूल भोजन एवं अन्य शिक्षणोत्तर सेवाएं देना जारी रख सकते हैं। स्कूलों को चरण 3 के दौरान IDPH के मार्गदर्शन का पालन करना होगा और विद्यार्थियों, स्टाफ़, और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अग्रसक्रिय उपाय करने होंगे, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन की अनुरूपता में एक ही स्थान पर उपस्थित लोगों की संख्या को दस या कम पर सीमित करना।
- सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का अधिकतम संभव सीमा तक अनुपालन सुनिश्चित करना। इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों से, सामाजिक दूरी में अन्य व्यक्तियों से कम-से-कम छः फुट की दूरी बनाए रखना और व्यक्तियों के बीच शारीरिक संपर्क को हतोत्साहित करना शामिल है।
- उपयुक्त स्वच्छता परिपाटियां सुनिश्चित करना, जिनमें अधिकतम संभव बार हाथों को साबुन व पानी से कम-से-कम बीस सेकंड तक धोना या हैंड सेनिटाइज़र का उपयोग करना, खांसते या छींकते समय नाक व मुंह ढकना (आस्तीन या कोहनी में, न कि हथेलियों से), व्यक्तिगत वस्तुओं के साझाकरण को हतोत्साहित करना, और बारंबार छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ करना शामिल है।
- उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग आवश्यक करना, जिसमें दो वर्ष से अधिक आयु के तथा चिकित्सीय दृष्टि से फ़ेस कवर सहन कर सकने वाले विद्यार्थियों, स्टाफ़, और आगंतुकों द्वारा फ़ेस कवर का उपयोग शामिल है। स्कूलों को, जो कर्मचारी सारे समय न्यूनतम छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में समर्थ नहीं हैं उन्हें फ़ेस कवर प्रदान करने होंगे, और अधिकतम संभव सीमा तक सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार उपयोग के बाद फेंक दिए जाने वाले फ़ेस कवर उपलब्ध कराने होंगे।

अनुभाग 2. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, बाल श्रम कानून (चाइल्ड लेबर लॉ), 820 ILCS 205/12, का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो

यह आवश्यक करता है कि रोज़गार चाहने वाला अवयस्क स्वयं आकर रोज़गार प्रमाणपत्र का आवेदन जमा करे। इस सांविधिक उपबंध को केवल इस आवश्यकता के संदर्भ में स्थगित किया जाता है कि आवेदक स्वयं आकर आवेदन जमा करे। इलिनॉय श्रम विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ लेबर) 820 ILCS 205/12 के अनुसरण में जारी रोज़गार प्रमाणपत्रों के आवेदनों को जमा करने एवं उन्हें स्वीकृत करने की एक वैकल्पिक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए आपातकालीन नियम लागू करेगा।

अनुभाग 3. यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को उलट देता है। जो भी प्रावधान इस कार्यकारी आदेश के विपरीत नहीं हैं वे पूरी तरह से लागू रहेंगे।

अनुभाग 4. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

---

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल**

**(Governor)**

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 4 जून, 2020 को जारी

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 4 जून, 2020 को दायर